

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

कमांक प.1(7)वित्त/राजस्व/2020

जयपुर, दिनांक:- 09.10.2020

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा के कनिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि पर वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम 28 ए के उप नियम (7) के तहत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/सर्व श्री	वर्ग	रिक्ति की तिथि
1.	श्री प्रहलाद मीणा	(अजजा)	01.04.2020
2.	श्री हरिनारायण मीणा	(अजजा)	01.04.2020
3.	श्री रामवतार शर्मा	-	01.04.2020
4.	श्रीमती चित्रा जोशी	-	01.04.2020
5.	श्रीमती भारती हरजवानी	-	01.04.2020
6.	श्री भागीरथ सिंह लखावत	-	01.04.2020
7.	श्रीमती सीमा कौशल	-	01.04.2020
8.	श्री जितेन्द्र कुमार जैन	-	01.04.2020
9.	श्री नाथू राम ढाका	-	01.04.2020
10.	श्रीमती सीमा यादव	-	01.04.2020
11.	श्री लोकेन्द्र सिंह	-	01.04.2020
12.	श्री अंजनी कुमार शर्मा	-	01.04.2020
13.	श्री धीरज कुमार सोनी	-	01.04.2020
14.	श्री रतन सिंह सान्दू	-	01.04.2020
15.	श्रीमती आशापाल मौर्य	(अजा)	01.04.2020
16.	श्री सत्येन्द्र बसवाल	(अजा)	01.04.2020
17.	श्री रामधन	(अजा)	01.04.2020
18.	श्रीमती प्रीति वर्मा	(अजा)	01.04.2020
19.	श्रीमती मंजू देवी	(अजजा)	01.04.2020
20.	डॉ. कमलेश उपाध्याय	-	01.04.2020
21.	श्री रामकेश मीणा	(अजजा)	01.04.2020
22.	श्री भंवरलाल चिरानियां	(अजा)	01.04.2020
23.	श्री ओमप्रकाश बसवाल	(अजा)	01.04.2020
24.	श्री प्रभुलाल बैरवा	(अजा)	01.04.2020
25.	श्री रामकरण चन्देल	(अजा)	01.04.2020
26.	श्री कैलाश चन्द वर्मा	(अजा)	01.04.2020
27.	श्री धारूसिंह चौहान	(अजा)	01.04.2020
28.	श्री घनश्याम नट	(अजा)	01.04.2020


29.	श्री मनोज कुमार गरवा	(अजा)	01.04.2020
30.	श्री रतन लाल वर्मा	(अजा)	01.04.2020
31.	श्री बाबूलाल	(अजा)	01.04.2020
32.	श्री रामजीलाल	(अजा)	01.04.2020

पदोन्नत अधिकारियों में से सेवारत अधिकारी अपने वर्तमान पदों को यथाआवश्यकता अस्थाई तौर पर क्रमोन्नत/क्रमावनत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे तथा वे उक्त तिथि को कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(नीलिश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त/शासन सचिव, वित्त।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/।।) विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव